

शासकीय नवीन कन्या
महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर
जिला-कोरिया (छ0ग0)



स्थापना : 03 जुलाई 2007



प्रवेश विवरणिका
सत्र 2021-22

Web Site = www.govtngcbkp.com

Email Address = navingirls.bkp@gmail.com

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय,
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ0ग0)

स्थापना : 03 जुलाई 2007

(संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से
संबद्ध)



प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2021-22

प्रकाशक

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर,
जिला-कोरिया (छ0ग0)

मो. नं. 9425256687

Web Site = www.govtngcbkp.com

Email Address = navingirls.bkp@gmail.com

रैगिंग
कानूनी अपराध है
और
इसे रोकना हमारा
नैतिक
कर्तव्य है ।



प्राचार्य – संदेश



छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं प्राकृतिक स्थलों से घिरा हुआ है। शैक्षिक दृष्टि से यह जिला अभी भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। जिले में विभिन्न महाविद्यालय स्थित हैं पर एकमात्र कन्या महाविद्यालय की स्थापना 3 जुलाई 2007 को हुई थी।

यह महाविद्यालय छात्राओं को बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने हेतु प्रयासरत है। जिले की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

यह प्रवेश विवरणिका वर्तमान शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। जिले में स्थित कन्या महाविद्यालय बहुत ही कम समय में छात्राओं के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपनी स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। बेटियां शिक्षित होती हैं तो अपने घर के साथ-साथ दूसरे घर को भी शिक्षित करती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में योग्य एवं लगनशील तथा समर्पित भाव से कार्य करने वाले प्राध्यापकों द्वारा छात्राओं को सही दिशा में नैतिक मूल्य, आत्म विश्वास तथा कड़ी मेहनत करने से वर्तमान समय के अनुरूप इस दुनिया में बेहतर एवं सुरक्षित जगह स्थापित करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाता रहा। सीमित संसाधनों में कुछ बेहतर कर गुजरने वाली छात्राओं का मैं स्वागत करती हूं। निःसंदेह यह महाविद्यालय छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने में सहायक होगा।

छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए।

बैकुण्ठपुर

डॉ० रंजना नीलिमा कच्छप

प्रभारी प्राचार्य



महाविद्यालय – परिचय

कोरियावासियों के मंशानुरूप जिले में एकमात्र कन्या महाविद्यालय की स्थापना 3 जुलाई 2007 को हुई। यह महाविद्यालय एन.एच.-43 पर शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के बाजू में स्थित है। अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं तथा समाजशास्त्र विषय में पी0जी0 की कक्षाएं संचालित हैं। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से संबद्ध महाविद्यालय जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में स्थित है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्राएं नौकरी एवं स्वरोजगार से जुड़ी हैं तो अनेक छात्राएं कुशल गृहणी की भूमिका निभा रही हैं।

धान की बालियों के बीच पुस्तक से उगता सूरज यह संकेत देता है कि पढ़ने वाली अधिकांश छात्राएं जमीनी स्तर से जुड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़ी रहती हैं। तमाम समस्याओं के बावजूद शिक्षा प्राप्त कर अपने ज्ञान से प्रकाश आलोकित करती हैं।

महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील प्राध्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय,
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ0ग0)
महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

कला संकाय

1. स्नातकोत्तर (एम.ए.)-समाजशास्त्र

2. स्नातक (बी.ए.)

बी.ए. में उपलब्ध विषय -

1. अनिवार्य विषय -

(अ) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय -

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाज शास्त्र 4. अर्थशास्त्र

नोट - छात्र / छात्राओं को उपरोक्त में से किन्हीं तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. बी.एससी. (जीव विज्ञान समूह)

बी. एससी. में उपलब्ध विषय -

1. अनिवार्य विषय -

(अ) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय -

1. वनस्पति शास्त्र. 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम.

बी.कॉम. के विषय -

बी.कॉम. प्रथम वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम - (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. व्यावसायिक अर्थशास्त्र, 3. व्यावसायिक पर्यावरण, 4. व्यावसायिक संचार, 5. वाणिज्यिक विधि. 6. वित्तीय लेखांकन 7. व्यावसायिक गणित

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
2. प्रबंध के सिद्धांत 3. उद्यमिता के मूल तत्व 4. कंपनी अधिनियम एवं सांख्यिकी पद्धति 5. व्यावसायिक सांख्यिकी 6. निगमित लेखांकन 7. लागत लेखांकन

बी.कॉम. तृतीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
2. प्रबंधकीय लेखांकन.. 3. आयकर 4. अप्रत्यक्ष कर. 5. अंकेक्षण
5. वैकल्पिक समूह– अ. वित्तीय ग्रुप ब. विपणन ग्रुप स. सूचना प्रौद्योगिकी ग्रुप

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध स्थान
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	180 प्रति वर्ष
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह	150 प्रति वर्ष
3	बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	60 प्रति वर्ष
4	एम.ए. (समाजशास्त्र) सेमेस्टर पद्धति (सीबीसीएस)	25 प्रति सेमेस्टर

टीप :-

1. छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष के विषय ही द्वितीय व तृतीय वर्ष में लेने होंगे ।
2. छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषय में प्रवेश स्थान की उपलब्धता एवं अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा । स्थान न होने की दशा में छात्र/छात्राओं को इस संदर्भ में उनकी पसंद के विषय के बजाय ऐसे विषय लेने होंगे जिसमें स्थान उपलब्ध हो।
3. विषय परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है, विषय परिवर्तन सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है। नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि तक प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाहय विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

शैक्षणिक सत्र 01 जून 2021 से आरंभ होगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 01 जून से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगे।

प्रवेश नियम (Admission Rules)–

1. यदि छात्र/छात्रा एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा।
2. छात्र/छात्रा अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहते हैं उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जायेगा।
4. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जावेगी।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आधार पर भी आरक्षण होगा। आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
6. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश-सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। छात्र/छात्राएं महाविद्यालय के सूचना पटल का नियमित अवलोकन करते रहें। यह सूचना महाविद्यालय के वेबसाइट www.govtngcbkp.com पर भी उपलब्ध रहेगी।
7. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
8. प्रत्येक छात्र को एन.एस.एस./एन.सी.सी., यूथ रेड क्रॉस सोसायटी अथवा खेलकूद/सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है।
9. प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा जो बाध्यकारी होगा।

प्रवेश पात्रता –

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेंगे –

1. स्नातकोत्तर (एम.ए. समाजशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर – संबंधित विषय में स्नातक उपाधि।
2. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम वर्ष –
(क) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. द्वितीय वर्ष –
(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4. बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. तृतीय वर्ष–
(क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

विश्वविद्यालय नामांकन– (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्रा को संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा मान्य न होने तक अस्थायी रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र –

1. समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन पद्धति से होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

विशेष – निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है –

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Original T.C.)।
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची छात्र को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थी के लिए है जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था का विद्यार्थी न रहा हो) ।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (Privates) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) संलग्न करें ।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षों की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड /विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण-पत्र महाविद्यालय-प्रवेश-आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
10. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे –
 - (1) जाति प्रमाण-पत्र
 - (2) आय प्रमाण-पत्र
 - (3) निवास प्रमाण-पत्र
 ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें ।
11. नौकरी करने वाली विद्यार्थी के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
12. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो/अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
13. शासकीय नियमों के विरुद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
14. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है ।
15. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि –
 1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश-शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है ।
 2. छात्र/छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है ।
 3. छात्र/छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोषजनक हो ।
 4. छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है ।
 5. छात्र/छात्रा रैगिंग करता है ।
 6. अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में ।
 7. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार 1 महीने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा ।

शुल्क संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी निर्धारित बैंक में अथवा महाविद्यालय की छात्र शाखा में फीस जमा करें ।

2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क, नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित होना चाहता है।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए।

-: शुल्क विवरण 2021-22 :-

शुल्क विवरण	स्नातक कला संकाय/वाणिज्य संकाय	स्नातक विज्ञान संकाय	स्नातकोत्तर कला संकाय
शासकीय शुल्क	8	28	8
जनभागीदारी शुल्क	500	500	500
काशन मनी (पहले प्रवेश पर)	100	100	100
निर्धन छात्र सहायता	13	13	13
परिचय पत्र	50	50	50
साइकिल स्टैण्ड	100	100	100
वि.वि.नामांकन	120	120	120
वि.वि.शारीरिक कल्याण शुल्क	255	255	255
वि.वि.ग्रंथालय शुल्क	25	25	25
छात्र कल्याण शुल्क	12	12	12
युवा गतिविधि शुल्क	2	2	2
चिकित्सा शुल्क	3	3	3
रेडक्रास	40	40	40
छात्र संघ	10	10	10
क्रीडा	20	20	20
साहित्य गतिविधि	20	20	20
पत्र पत्रिका	20	20	20
सांस्कृतिक कार्यक्रम	40	40	40
प्राचार्य विवेक	10	10	10
रिजर्व निधि	1	1	1
महाविद्यालय विकास निधि	221	221	221
वाचनालय	30	30	30
आप्रवासन शुल्क (अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड की छात्राओं से)	360	360	360
पात्रता शुल्क (अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड की छात्राओं से)	240	240	240
विभागीय ग्रंथालय केवल एम.ए. हेतु	0	0	250

टीप :-

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगी।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

धरोहर राशि (अमानत राशि प्राप्त करने के नियम)–

1. धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति बुधवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी।

छात्रवृत्तियां –

महाविद्यालय में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक सत्र में देय होगी।

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। (मैट्रिकोत्तर एवं बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. छात्रवृत्ति नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना पटल पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

4. छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएँ समय-समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें।
7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का होगा।
9. बारहवीं परीक्षा पास छात्र के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
11. शासन के नियमानुसार जिन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :- महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

पुस्तकालय/वाचनालय –

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएं पूरा-पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरुपयोग करता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थी को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रन्थपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा।

(ब) गत वर्षों के प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकते हैं।

बुक बैंक योजना –

(1) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक से सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकंगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।

(2) महाविद्यालय के ग्रन्थालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश-पत्र, परिचय पत्र एवं जाति

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर ग्रन्थालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदाय करने की व्यवस्था ग्रंथपाल द्वारा की जाती है।

प्रयोगशाला —

महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में विषयवार प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विभाग में पृथक-पृथक प्रयोगशालायें हैं ।

हेल्प डेस्क —

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्रीमती मोनिका गौर हैं। हेल्प डेस्क में छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जायेगा —

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षा संबंधी।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी।
4. छात्रावास संबंधी।
5. कैंटीन संबंधी।
6. ग्रन्थालय संबंधी।
7. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जैसे बी.पी.एल.,पोस्ट मैट्रिक एकीकृत छात्रवृत्ति, सैन्य छात्रवृत्ति इत्यादि।
8. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना।
9. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करने संबंधी।
10. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी।
11. साइकिल स्टैण्ड संबंधी।
12. रैगिंग संबंधी शिकायत।
13. प्रयोगशाला संबंधी।
14. प्रसाधन कक्ष संबंधी।
15. अध्यापन कक्षों की साफ-सफाई संबंधी।
16. एन.सी.सी./एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां।
17. कॉमन रूम संबंधी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी संयोजक श्रीमती कनकलता पैकरा हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) –

यह योजना संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की 100 छात्र-छात्राओं की इकाई कार्यरत है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, एवं समयानुकूल समाज सेवा का कार्य करते हैं। छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण करना होता है। बी एवं सी प्रमाण-पत्र की परीक्षा की पात्रता हेतु नियमित गतिविधियों में 75 प्रतिशत उपस्थिति और कम से कम सात दिवसीय एक शिविर में भागीदारी आवश्यक है। महाविद्यालय में डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) एन.एस.एस. की कार्यक्रम अधिकारी हैं।

रेडक्रॉस –

महाविद्यालय में रेडक्रॉस की ईकाई कार्यरत है। रेडक्रॉस समिति स्वास्थ्य एवं जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम / कार्य संचालित करती है। महाविद्यालय में फर्स्ट एड की सुविधा रेडक्रॉस कक्ष में उपलब्ध है। आवाश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा बीमार छात्र / छात्रा को ईलाज हेतु तत्काल निकटस्थ जिला चिकित्सालय में ले जाया जाता है। रेडक्रॉस समिति की संयोजक श्रीमती कनकलता पैकरा हैं।

खेलकूद –

महाविद्यालय में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, शतरंज आदि इंडोर-आउटडोर खेलों के खेलने की सुविधा है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रुचि व भाग लें। टीम में स्थान प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास में उपस्थिति जरूरी है।

छात्र-संघ –

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ का सदस्य होता है। संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक छात्र/छात्रा का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। छात्रसंघ की गतिविधियां सुश्री जिज्ञासा पटेल के मार्गदर्शन में कार्यान्वित होती हैं।

परिचय पत्र –

प्रत्येक छात्र के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। छात्र अपना परिचय-पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक छात्र को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र, ग्रंथालय कार्ड प्रतिदिन अपने साथ रखना एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

रैगिंग – निषेध

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001" जारी किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

परिभाषा –

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

रैगिंग का प्रतिशोध –

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड – यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 05 हजार से अधिक नहीं होगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण – इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता –

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था-परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा। किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसा छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

सामान्य नियम

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग करेगा।
3. महाविद्यालय-परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय-परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी सरल, निर्वसन और मितव्ययी जीवन-निर्वाह करेगा।
7. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
8. महाविद्यालय में झुंझ-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
9. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
10. महाविद्यालय में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फनीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी बिजली और पानी की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना हर सम्भव सहयोग करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।

3. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
4. एन.एस.एस. केम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं/यूथ रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जायेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।
8. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना-प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

संकाय सदस्य

**महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की जानकारी
(दिनांक – 31.01.2022 की स्थिति में)**


संस्था प्रमुख – डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप (प्रभारी प्राचार्य)

क्रमांक	पद	विषय	नाम	संपर्क
1	प्राचार्य	रिक्त	-	
2	प्राध्यापक	समाजशास्त्र	श्री बिक्की राम	7223968292
3	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	डॉ० रंजना नीलिमा कच्छप	9425256687
4	सहायक प्राध्यापक	वणिज्य	डॉ० सुमित कुमार डे	9826189958
5	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	श्रीमती कनकलता पैकरा	9826298404
6	सहायक प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	श्रीमती दीपशिखा शर्मा	7000118014
7	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	श्रीमती दीपशिखा मिश्रा	9294528088
8	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	कु० नासमा बेगम	7580822755
9	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा	9977194077
10	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	सुश्री जिज्ञासा पटेल	7828288882
11	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	श्री सुमित मिश्रा	7974225474
12	सहायक प्राध्यापक	वणिज्य	श्रीमती अल्का दुबे	8226093614

अशैक्षणिक / कार्यालयीन सदस्य

(दिनांक – 31.01.2022 की स्थिति में)

क्र.	पद	नाम	प्रभार	संपर्क
1	ग्रंथपाल	रिक्त	—	
2	क्रीड़ा अधिकारी	रिक्त	—	
3	सहायक ग्रेड-1	रिक्त	—	
4	सहायक ग्रेड-2	श्री खालिद जफर उस्मानी	स्थापना, लेखा व आडिट	9425255132
5	सहायक ग्रेड-3	रिक्त	—	
6	सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	रिक्त	—	
7	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री महेन्द्र कुमार कुर्रे	रसायन शास्त्र लैब एवं प्रवेश, छात्रवृत्ति व परीक्षा	9406489252
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री विपिन सिंह	प्राणीशास्त्र लैब एवं ग्रंथालय व वाचनालय	9575185875
9	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्रीमती प्रतिभा उपाध्याय	टी.सी., सी.सी., छात्र शाखा, क्रीड़ा	7000566278
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ज.भा.)	श्री भागवत प्रसाद साहू	—	8602159254
11	अंग्रेजी टंकक (ज.भा.)	श्री राजकुमार राजवाड़े	—	8839785524
12	प्रयोगशाला परिचारक	श्रीमती मोनिका गौर	वनस्पति शास्त्र लैब	9907514044
13	भृत्य	श्री सत्येन्द्र सिंह पैकरा	—	8720887820
14	भृत्य	श्री बिनयामिन लकड़ा	—	8839989423
15	स्वीपर (ज.भा.)	श्रीमती अर्चना	—	



अमृतधारा जलप्रपात, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ0ग0)

प्रकाशक :

**प्राचार्य शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर
जिला-कोरिया (छ0ग0)**